Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जालोर में पुलिस थाना करड़ा का थानाधिकारी एवं हैड कानिस्टेबल 1 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *11 जुलाई, मंगलवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर सिरोही इकाई द्वारा सोमवार देर रात जालोर में कार्यवाही करते हुये अमर सिंह पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी एवं प्रतापाराम हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना करड़ा, जिला जालोर को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की **टोल फ्री हैल्प लाईन 1064** पर परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुलिस थाना करड़ा में दर्ज आबकारी अधिनियम के मुकदमें में मुलजिम नहीं बनाने एवं गिरफ्तार शुदा मुलजिम से हिरासत में मारपीट नहीं करने की एवज में अमर सिंह पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी एवं प्रतापाराम हैडकानिस्टेबल पुलिस थाना करड़ा, जिला जालोर द्वारा **1 लाख 80 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, जोधपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री हरेन्द्र महावर** के सुपरवीजन में एसीबी सिरोही इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ओमप्रकाश चौधरी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर सोमवार देर रात उनके द्वारा मय टीम पुलिस निरीक्षक श्री पदमपाल सिंह एवं अन्य के ट्रेप कार्यवाही करते हुये अमर सिंह पुत्र श्री अचल सिंह निवासी ग्राम चाणोद, पुलिस थाना तखतगढ़, जिला पाली हाल पुलिस निरीक्षक, थानाधिकारी पुलिस थाना करड़ा, जिला जालोर एवं प्रतापाराम पुत्र श्री मूलाराम निवासी वाडा भाडवी, पुलिस थाना बागोड़ा, जिला जालोर हाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना करड़ा, जिला जालोर को परिवादी से **1 लाख 50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।